गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

विकास पथ, गाजियाबाद।

(ISO 9001:2008 एवं ISO 14001:2004 प्रमाणित संस्था)

पत्रांक /4/ई0ई0–3/2017–18 दिनांक:

डिटेल ऑफ इन्कम्बरेन्स

मधुबन बापूधाम योजना के पॉकेट एफ. में निर्माणाधीन भवनों मे से ब्लॉक ''डी'' जो खसरा सं0 728 की भूमि पर प्रस्तावित है, पर पूर्व में माननीय उच्चतम न्यायालय का स्थगन आदेश प्रभावी था, जिसमे माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 31.11.'2016 को आदेश पारित करते हुए वर्तमान दर से प्रतिकर का भुगतान करने हेतु निर्णीत किया गया है। माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशो के उपरान्त प्राधिकरण द्वारा जिला भूमि अध्याप्ति कार्यालय, गाजियाबाद से भूमि अध्यापन के सम्बन्ध में अनुरोध किये जाने पर उनके द्वारा प्रतिकर की दर निर्धारित की जा चुकी है। किसानो को नवीन दर पर मुआवजा वितरित करने के पश्चात ब्लॉक ''डी'' के लिए भूमि उपलब्ध हो सकेगी। वर्तमान में प्रथम चरण में ब्लॉक ए., बी. एवं सी. पर 282 भवनों का निर्माण कार्य प्रगतिमान है।

(कप्तान सिंह)
अधिशासी अभियन्ता